राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1146/SEIAA/2022
Date: 14/7/22

प्रति,

कलेक्टर
जिला सीधी (म.प्र.)

विषयः– प्रकरण क्र. 9226/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सूरज सिंह बघेल, आत्मज मानेन्द्र बहादुर सिंह वघेल निवासी ग्राम पतेरी, तहसील बहरी, जिला सीधी (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 39002 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.65 हेक्टेयर, खसरा 1050 भाग, ग्राम डढ़िया, तहसील बहरी, जिला सीधी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 736वी बैठक दिनांक 12.07.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया................

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान पहाड़ के ऊपर स्वीकृत है जिसके पूर्व दिशा में 25 मीटर पर कच्चा रोड़ है, उत्तर–पश्चिम दिशा में 50 मीटर पर आबादी तथा सम्पूर्ण लीज क्षेत्र में कई पेड़ लगे हैं । आबादी को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन् योजना में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है किंतु उनके द्वारा आबादी को ध्यान में रखते हुए खनन् रॉक ब्रेकर से किया जायेगा तथा आबादी से एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21/7/20 के अनुरूप 100 मीटर का नॉन माईनिंग जोन प्रस्तावित किया गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया है । चूंकि सम्पूर्ण लीज क्षेत्र में कई पेड़ लगे हैं इस कारण समिति ने प्रकरण के साथ ऑन लाईन प्रस्तुत खसरा पी–2 फार्म का अवलोकन किया तथा पाया कि पी–2 फार्म में कैफियत "म.प्र.शासन इमारती लकड़ी हेतु" दर्ज है । समिति ने चर्चा के दौरान पाया कि चूँकि पी–2 फार्म में खसरे की कैफियत "म.प्र.शासन इमारती लकड़ी हेतु" दर्ज है अतः इसका लैंडयूज खनन् हेतु परिवर्तित करने बावत् इसका वैधानिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया जा कर निर्णय लिया जाना उचित होगा । अतः समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त संदर्भ में प्रकरण मार्गदर्शन हेतु सिया को प्रेषित किया जाये ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 582वी बैठक दिनांक 29.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया जाता है कि पी–2 फार्म में खसरे की कैफियत "म.प्र.शासन इमारती लकड़ी हेतु" दर्ज है अतः इसका लैंडयूज खनन् हेतु परिवर्तित करने बावत् इसका वैधानिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया जा कर स्पष्ट अभिमत कलेक्टर, सीधी से प्राप्त किया जाये कि प्रस्तावित क्षेत्र खनन हेतु योग्य है अथवा नहीं तथा यह भी स्पष्ट किया जाये कि उक्त क्षेत्र वन क्षेत्र के रूप में दर्ज तो नहीं है। तदानुसार वनमण्डलाधिकारी सीधी एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार, प्रकरण में पी–2 फार्म में खसरे की कैफियत "म.प्र.शासन इमारती लकड़ी हेतु" दर्ज है अतः इसका लैंडयूज खनन् हेतु परिवर्तित करने बावत् इसका वैधानिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया जा कर स्पष्ट अभिमत दिया जाये एवं प्रस्तावित क्षेत्र खनन हेतु योग्य है अथवा नहीं तथा यह भी स्पष्ट करें कि उक्त क्षेत्र वन क्षेत्र के रूप में दर्ज तो नहीं है कि जानकारी SEIAA कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करें, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

o/c (विकास मिश्रा) 14.7.22
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1147 /SEIAA/2022 दिनांक – 14/7/22
प्रतिलिपिः–

1. वनमण्डलाधिकारी जिला – सीधी (म.प्र.)।
2. श्री सूरज सिंह बघेल आत्मज मानेन्द्र बहादुर सिंह वघेल निवासी ग्राम पतेरी, तहसील बहरी, जिला सीधी (म.प्र.)।

o/c (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी